प्रेस विज्ञप्ति

31 अगस्त, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

"मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस एस. एन. धींगड़ा जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा की भाजपा सरकार को शाम को लगभग 4 बजे सौंप दी है। हम रिपोर्ट का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद व्यापक प्रतिक्रिया देंगे।

चौंकाने वाली व हैरत करने वाली बात तो यह है कि रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने से घंटों पहले ही टीवी चैनलों पर इसकी अंदरुनी जानकारी प्रसारित होने लगी। स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट और इसके निष्कर्ष व्यक्तिविशेष को निशाने पर लेकर बदनाम करने की साजिश हैं। नैचुरल जस्टिस के सिद्धांत व कमीशन ऑफ इंक्वायरी कानून 1952 के विपरीत इसमें कथित रूप से निशाने पर रखे लोगों को उनका पक्ष जानने के लिए बुलाया तक नहीं गया।

भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों के द्वारा वर्षों से इस पूरे मामले का इस्तेमाल झूठे झूठे प्रचार एवं आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया गया है। धींगड़ा कमीशन का गठन भी खट्टर एवं मोदी सरकार का बदला लेने की भावना से किए गए षडयंत्र का हिस्सा था। न इसमें तथ्य हैं और न सच्चाई।

जस्टिस एस. एन. धींगड़ा जांच आयोग गठन के पीछे भाजपा का एक सीधा षडयंत्र है – झूठे आरोप लगाना एवं कांग्रेस नेतृत्व की छवि खराब करने की ओछी साजिश करना। नतीजन यह आयोग भाजपा के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गया। कमीशन के गठन में 'लोक भलाई का कोई मसला' सामने नहीं आता, जैसा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 3 में अनिवार्य है। यह इस बात से स्पष्ट है कि हरियाणा में लाईसेंस के तहत दी गई 33,697.57 एकड़ भूमि का लाईसेंस भिन्न–भिन्न सरकारों के द्वारा दिया गया है, परंतु धींगड़ा कमीशन को उसमें से मात्र 63.40 एकड़ भूमि (16 कमर्शियल लाईसेंस, सेक्टर 83, गुड़गांव) की जांच के लिए कहा गया। यह पूर्वग्रह को स्पष्ट तौर से दिखाता है। साजिश इससे भी साफ है कि इस जांच के पीछे एकमात्र लक्ष्य केवल श्री रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाईट हॉस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली 2.7 एकड़ जमीन को शामिल करना है।

इसके अलावा, श्री रॉबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली स्काईलाईट हॉस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड को 2.7 एकड़ की जमीन लाईसेंस पर देने में किसी भी नियम/कायदे/कानून के उल्लंघन या फिर उन्हें किसी पक्षपातपूर्ण तरीके से फायदा पहुंचाने का कहीं कोई साक्ष्य या तथ्य मौजूद नहीं। यहां तक कि हरियाणा सरकार द्वारा स्काईलाईट के कमर्शियल लाईसेंस को आज तक रिन्यू नहीं किया गया है। इस कनर्शियल लाईसेंस को स्काईलाईट द्वारा डीएलएफ

को ट्रांसफर किए जाने बारे भी आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तथा मामला सरकार के विचाराधीन है। ऐसे में किसी पक्षपात का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

स्वयं खट्टर सरकार ने साल 2015 व 2016 में पुरानी नीति के तहत ही अनेकों लाईसेंस व सीएलयू दिए हैं। क्या फिर स्वयं खट्टर व बीजेपी सरकार के खिलाफ भी जांच आयोग का गठन होना चाहिए? एक तरफ तो भाजपा कमीशन गठन कर सीएलयू और व्यय लाईसेंस नीति को कड़ा बनाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ खट्टर सरकार 18.02.2015 को एक नई नीति लेकर आई है, जिसके चलते बगैर जमीन की मालकियत या लाईसेंस का हस्तांतरण किए अब एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) भी बेचने या खरीदने की व्यवसायिक वस्तु बन गई है। ऐसे में कमीशन के गठन का क्या औचित्य रह जाता है।

यहां तक कि आयोग की जांच में सामने आई बातें कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 व नैचुरल जस्टिस के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करती हैं। इस एक्ट के सेक्शन 8B एवं सेक्शन 8C के अनुसार अगर जांच आयोग के नतीजों में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो उसे अपनी बात रखने, अपने पक्ष में सबूत पेश करने और गवाहों से सवाल जवाब करने एवं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कमीशन में सुनवाई का अवसर मिलना अनिवार्य है। जस्टिस धींगड़ा कमीशन ने, न तो श्री रॉबर्ट वाड्रा और न ही उनकी कंपनी स्काईलाईट हॉस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड के किसी भी अधिकारी को कभी भी कमीशन के सामने बुलाया। इसी प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री, श्री भूपेंद्र हूडा को भी कमीशन द्वारा धारा 8B या 8C में नोटिस नहीं दिया गया। ऐसे में कमीशन की जांच में इन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी जा सकती है।

जस्टिस एस. एन. धींगड़ा ने एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका से समझौता करते हुए हरियाणा की वर्तमान भाजपा सरकार से अपनी अध्यक्षता वाले गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अनुदान प्राप्त किया, जिसमें सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाकर सरकारी खजाने से 1 करोड़ रु. दिए गए। इसके साथ साथ एक निजी व्यक्ति के द्वारा इसी ट्रस्ट के लिए गुड़गांव में मुफ्त में उपहारस्वरूप जमीन भी दी गई। इस सारे घटनाक्रम से स्पष्ट है :–

(i) जस्टिस एस. एन. धींगड़ा नीतिबाग, नई दिल्ली स्थित गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। एक निजी व्यक्ति हरीश चक्रवर्ती ने दिनांक 09.11.2015 की गिफ्ट डीड के द्वारा ग्राम जतोला, जिला गुड़गांव में स्थित 3K-14M माप की जमीन उनके ट्रस्ट को मुफ्त में दे दी। यह उपहार देने के लिए हरियाणा में काम करने वाले हजारों ट्रस्ट एवं गुड़गांव में स्थित अन्य ट्रस्टों और एनजीओ को छोड़कर केवल इसी ट्रस्ट को क्यों चुना गया? यह गिफ्ट डीड धींगड़ा कमीशन के 14.05.2015 को हुए गठन के बाद दी गई। इस पूरे मामले में यह प्रश्न उठता है कि यह उपहार दिल्ली में स्थित एक ट्रस्ट को ही क्यों दिया गया, जिसके अध्यक्ष जस्टिस धींगड़ा हैं और जो गुड़गांव में लाईसेंस दिए जाने के मामले की जांच कर रहे थे?